


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::


इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.12.2019 द्वारा श्रीमती गीता राजावत, प्रधानाचार्य को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से एस.बी. सिविल याचिका संख्या 21190/2019 में अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त होने के कारण माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराज, दूदू जिला जयपुर में प्रधानाचार्य पद पर यथावत पदस्थापित किया गया था एवं दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर श्री शंकर लाल गोस्वामी के स्थान पर सहवनवश श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता को अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर में दिये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया। उक्त आदेश में कार्मिक का नाम महेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य के स्थान पर शंकर लाल गोस्वामी संशोधित पढा जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/गीता/21190/2019 दिनांक: 30.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)